

(19)

राजस्व घण्डल म०प्र० ग्यालियर (सर्किट कोटी) रीवा

पुकारा क्रमांक R-४७८-तीन/14

रीवा  
सर्किट कोटी रीवा



योगेन्द्र बहादुर सिंह तनय श्री बंशगोपाल सिंह उम्र लगभग—45 वर्ष,  
पेशा, कृषिकार्य, निवासी ग्राम—खैरहन, तहसील—सिरमौर,  
जिला—रीवा, (म०प्र०) .....आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

- 1— रामगोपाल सिंह तनय स्व० श्री समरजीत सिंह उम्र लगभग—76 वर्ष,  
पेशा—कृषिकार्य, निवासी ग्राम—खैरहन, तहसील—सिरमौर, जिला—  
रीवा, (म०प्र०)
- 2— म०प्र०शासन द्वारा .....अनावेदकगण / गैरपुनरीक्षणकर्तागण

मांक १५०  
जैसर कोट्ट द्वारा आज  
आदय २०१३ को प्राप्त

पुनरीक्षण आवेदन—पत्र विरुद्ध आदेश न्यायालय  
तहसीलदार तहसील—सिरमौर, जिला—रीवा  
(म०प्र०) द्वारा प्रकरण क्र०—०१अ 5/2012—13  
में पारित आदेश दिनांक 17.12.13 पुनरीक्षण  
आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू—राजस्व  
संहिता 1959ई०

प्राप्ति

योगित्तरामांपाल — रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 877/III/ 2014

स्थान तथा  
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला रीवा

पक्षकारों एवं  
अभिभाषकों  
के हस्ताक्षर

9. ५. २०१४

यह निगरानी तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा द्वारा प्र.क. ०१/अ-५/१२-१३ में पारित आदेश दिनांक १७.१२.२०१३ के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक को ग्राहयता पर सुना, उन्होंने तर्कों में बताया कि ग्राम खैरहन की आराजी क्रमांक ६३०/२ रकमा १.०९ एकड़ आवादी भूमि है जिसका बटवारा आवेदक के पिता एवं अनावे. क-१ के बीच हुआ। तदनुसार अनावेदक क्रमांक १ को ०.५९ ए. भूमि प्राप्त हुई है एवं आवेदक के पिता को ०.५० ए. भूमि प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल नक्शों में लालस्याही से नक्शा तरमीम कराये जाने का आवेदन अनावेदक क-१ ने दिया था जो संहिता की धारा १०७ के अधीन था, जिसकी शक्तियाँ कलेक्टर को है किन्तु तहसीलदार सिरमौर ने कलेक्टर की शक्तियों का गलत उपयोग किया है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाया जावे एवं स्थगन दिया जावे।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया तथा तहसीलदार सिरमौर द्वारा प्र.क. ०१

अग्रोड़ क्षात्र निर्देशन समिति  
१७.१२.२०१३-प्रक्रम १५

अ-५/१२-१३ में पारित आदेश दिनांक 17.12.2013

की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया,  
जिसके अनुसार तहसीलदार ने नक्शा तरमीम का  
प्रस्ताव स्वीकार किया है। विचार योग्य बिन्दु यह  
है कि क्या नक्शा तरमीम करने के अधिकार  
तहसीलदार को हैं अथवा नहीं ?

म०प्र०भ० राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 – सर्वेक्षण  
संख्याओं को पुर्णकामांकित या उप विभाजित करने की  
शक्ति – टिप्पणी (आ) – बंदोबस्त अधिकारी की  
शक्तियाँ प्रदत्त – बंदोबस्त अवधि के भीतर इस धारा के  
अधीन बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग  
कलेक्टर कर सकेंगे (धारा 90 देखें) कलेक्टर की ये  
शक्तियाँ तहसीलदारों को प्रदान की गई हैं। धारा 24 के  
अंतर्गत डिप्पणी इ (90) देखें।

संहिता की धारा 71 में नियम 3 इस प्रकार है –  
3. बंदोबस्त अधिकारी धारा 70 (अब 67) के अधीन  
अधिसूचना व्वारा आच्छादित ऐसे गाँवों का परिमाप या  
पुर्नमापन या नक्शों की शुद्धि कार्यान्वित करेगा जिनमें  
ऐसे परिमाप, पुर्नमापन या नक्शों की शुद्धि की  
आवश्यकता हो।

उक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने संहिता की  
धारा 70 सहपठित 67 एंव 68 (आ) एंव धारा 24  
की टिप्पणी इ (9) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग  
कर आदेश पारित किया है जो अपील योग्य है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अग्राह्य होने  
से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें।  
अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर  
प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

अशोक शिवहरे  
सदस्य  
राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर

# Introduction

The following pages are intended to give a general idea of the history of the town of New Haven, Connecticut, from its first settlement by the Indians up to the present time. They will also give some account of the early days of the colony, and of the various events which have taken place in the town since its incorporation.

The author has endeavored to make the history of the town as full and interesting as possible, and to give a clear and accurate account of all the important events which have occurred in the town since its incorporation. He has also tried to make the history of the town as full and interesting as possible, and to give a clear and accurate account of all the important events which have occurred in the town since its incorporation.

The author has endeavored to make the history of the town as full and interesting as possible, and to give a clear and accurate account of all the important events which have occurred in the town since its incorporation.

The author has endeavored to make the history of the town as full and interesting as possible, and to give a clear and accurate account of all the important events which have occurred in the town since its incorporation.

The author has endeavored to make the history of the town as full and interesting as possible, and to give a clear and accurate account of all the important events which have occurred in the town since its incorporation.

The author has endeavored to make the history of the town as full and interesting as possible, and to give a clear and accurate account of all the important events which have occurred in the town since its incorporation.

The author has endeavored to make the history of the town as full and interesting as possible, and to give a clear and accurate account of all the important events which have occurred in the town since its incorporation.